जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-21.04.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड मे लेकर निशांदेही पर अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.04.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना का संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस द्वारा 17 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त उजैफा उर्फ हुजैफा पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जिला कारागार मुजफ्फरनगर भेजा गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से उपरोक्त अभियुक्त की पीसीआर प्राप्त कर अभियुक्त उजैफा उर्फ हुजैफा की निशादेही पर 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस को बरामद कराया गया है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रहे है।

नाम व पता अभियुक्त-

1.उजैफा उर्फ हुजैफा पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी । प्रकरण के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को दिये गये थे ।

इसी क्रम में दिनांक 20.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वारंटी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल निर्देशन में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शोएब पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मादलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 21.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.संदीप पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 01 अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास की सजा एवं 28,000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।</u>

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्तगण 1.सूरज पुत्र ईश्वर 2.मनोज उर्फ बिट्टू पुत्र ईश्वर निवासीगण ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 207/2021 धारा 366/376/342/323/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **जिसके क्रम में आज दिनांक 21.04.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल ADJ/FTC कैराना शामली द्वारा अभियुक्त सूरज को धारा 376 भादवि में 07 वर्ष साधारण कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 माह अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्तगण सूरज, ईश्वर को धारा 366 भादवि में 05-05 वर्ष साधारण कारावास व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 342 भादवि में 01-01 वर्ष साधारण कारावास व 2,000-2,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास , धारा 323 भादवि में 06-06 माह साधारण कारावास व 1,000-1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 120बी भादवि में 06-06 माह साधारण कारावास व 1,000-1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास** की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.सूरज पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मनोज उर्फ बिट्टू पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 16 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 8,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2013 में अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र शौकत 2.कय्यूम पुत्र शब्बीर 3.अय्यूब पुत्र शब्बीर 4.सादा उर्फ सादिक पुत्र अहमद 5.शौकत पुत्र गैन्डा 6.फुरकान पुत्र अफसर 7.महबूब पुत्र शब्बीर 8.नूरहसन पुत्र नसरू 9.मेहरबान पुत्र अकबर 10.हनीफ पुत्र अजमुद्दीन 11.कुर्बान पुत्र अफसर 12.असलूम पुत्र शब्बीर समस्त निवासीगण ग्राम रतौंध थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 587/2013 धारा 332/414 भादवि व 26 वन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 5,00-5,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1.साजिद पुत्र उमरजान 2.दिलशाद पुत्र उमरजान निवासीगण ग्राम सांजक थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर 3.गुलजार पुत्र मंगता निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 4.सालिम पुत्र नूरदीन निवासी फौलाद नगर थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 553/2023 धारा 553/2023 धारा 34/186 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 5,00-5,00/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI